(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 02/2021

बउनवान

श्री हरीश नागर पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद नागर जाति धाकड निवासी ग्राम पोस्ट मण्डोला कूण्ड गली, मण्डोला बारॉ

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारॉ, जिला बारॉ (राज.)

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा, 19 (1)

निर्णय दिनांक 12.04.2021

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.02.2021 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारॉ को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र मय भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 48 एफ–448910 राशि 10/– रूपये के प्रस्तुत कर 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा मात्र 2 बिन्दुओं की सूचना वह भी बिना प्रमाणित उपलब्ध करवाई गयी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझ कर सूचना छिपाने की नियत से सूचना उपलब्ध नहीं करवाकर सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारॉ के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन पत्र में चाही गई 9 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करावें। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से आवेदन पत्र में निम्नानुसार सूचना चाही गई थी कि :–

1. ग्राम मेलखेडी रोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि किस क्षेत्र की खसरा नम्बर व किस किस्म में आ रही है।
2. प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए अधिगृहित भूमि के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि के खातेदारों के नाम व पते एवं उनके खसरे नं0 से अवगत करावें।
3. निजी खातेदारी से अधिगृहित भूमि मालिक को भूमि के बदले दी जाने वाली सम्पत्ति व भूखण्ड का विवरण पृथक–पृथक [illegible] उपलब्ध करावें।
4. मेडिकल कॉलेज के अन्दर आने वाले निजी भूमि के निजी खातेदारों को क्या प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के समीप ही भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है। यदि प्रस्तावित है तो उन भूखण्डों के खसरा नं0 संख्या एवं दिशा की जानकारी/प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:44 IST
Reason: Self Attested

5. प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का साईट प्लान एवं नक्शे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
6. निजी खातेदारों को यदि मेडिकल कॉलेज के समीप ही भूखण्ड दिये जाने है तो उन्हें भी नक्शे मे दर्ज कर नक्शे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
7. प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के अन्दर आने वाले खातेदारों से उनकी अधिगृहित भूमि के बदले क्या मेडिकल कॉलेज के समीप ही भूखण्ड दिये जाने का प्रस्तावित है, अगर प्रस्ताव है तो उसके लाभार्थी होने के मापदण्ड व एलीजिबिटी क्राईटेरिया क्या है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
8. लाभार्थी द्वारा किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। अवगत करावें।
9. राज्य सरकार को मेडिकल कॉलेज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रेषित किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 16.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारॉ को जर्ये सम्मन क्रमांक 390–391 दिनांक 16.03.2021 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की प्रति भिजवायी जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जर्ये सम्मन क्रमांक 390–391 दि. 16.03.2021 से तलब किया गया।

अपीलार्थी इस कार्यालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारॉ द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब पत्रांक/राजस्व/2021/310 दि. 22.03.2021 से इस कार्यालय में भिजवाया जाकर निवेदन किया कि अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2021/250 दिनांक 04.03.2021 से बिन्दुवार 2 बिन्दुओं की कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं शेष 7 बिन्दुओं की सूचना से संबंधित जवाब निम्नानुसार भिजवा दिया गया है :–

1. बिन्दु संख्या–1 के संबंध में सूचना की प्रति संलग्न है।
2. बिन्दु संख्या–2 के संबंध मे सूचना की प्रति संलग्न है।
3. बिन्दु संख्या–3 में निजी खातेदारों की भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि के संबंध में पत्रावली मे कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।
4. बिन्दु संख्या–4 राज्य सरकार से संबंधित है।
5. बिन्दु संख्या–5 का संबंध इस कार्यालय से नही है।
6. बिन्दु संख्या–6 के संबंध मे पत्रावली मे कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।
7. बिन्दु संख्या–7 राज्य सरकार से संबंधित है।
8. बिन्दु संख्या–8 के संबंध मे पत्रावली में कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।
9. बिन्दु संख्या–9 इस कार्यालय से संबंधित [illegible] इस कार्यालय से कोई प्रस्ताव नही भिजवाये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रस्तुत अपील का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

1. बिन्दु संख्या–1 सूचना उपलब्ध करा दी गया। प्रति संलग्न है। प्रमाणित प्रति नही चाही गयी है।

2. बिन्दु संख्या–2 सूचना उपलब्ध करा दी गयी। प्रति संलग्न है। प्रमाणित प्रति नही चाही गयी है।
3. बिन्दु संख्या–3 निजी खातेदारी से अधिगृहित भूमि मालिको को भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि के संबंध मे पत्रावली मे कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।
4. बिन्दु संख्या–4 राज्य सरकार से संबंधित है।
5. बिन्दु संख्या–5 बिन्दु का संबंध इस कार्यालय से नही है।
6. बिन्दु संख्या–6 पत्रावली में कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।
7. बिन्दु संख्या–7 राज्य सरकार से संबंधित है।
8. बिन्दु संख्या–8 पत्रावली मे कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।
9. बिन्दु संख्या–9 इस कार्यालय से कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को नही भिजवाये गये है।

मेरे द्वारा अपीलार्थी की प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19 (1) का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर, मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2021 से 9 बिन्दुओं की सूचना, लोक सूचना अधिकारी से चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2021/250 दिनांक 04.03.2021 से बिन्दुवार 2 बिन्दुओं की कार्यालय मे उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवा दी गई एवं शेष 7 बिन्दुओं की सूचना से संबंधित जवाब नियत समय अवधि अन्दर एक माह मे भिजवा दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19 (1) सारहीन होने से खारिज की जाती है। इस कार्यालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारॉ को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांक 12.04.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:44 IST
Reason: SelfAttested